प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 848 सन 2021

अनवान :–

1. इन्द्रादेवी पुत्री हरिराम पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 8 चक 7 एनडीआर बिरकाली हाल मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लिलावती पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 225/217 की कुल 6.3230हैक्‍ में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेदप्रकाश पुत्र हिराराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वेदप्रकाश पुत्र हिराराम के नाम से दर्ज है जो उसके पिता हिराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई थी वेदप्रकाश पुत्र हिराराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि के अपने बहन वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसे वादीया काश्त करती आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज नही है उसके भाई वेदप्रकाश के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि लिलावती है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहती है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वेदप्रकाश जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके पति वेदप्रकाश ने अपने जीवनकाल में उसके नाम से दर्ज भूमि को अपने बहन के पक्ष में त्याग किया हुआ था वर्तमान में वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी पत्नि है वेदप्रकाश उसके पति के द्वारा त्याग की गई भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 225/217 की कुल 6.3230हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेदप्रकाश पुत्र हिराराम के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई वेदप्रकाश के नाम से दर्ज है जो उसके पिता हिराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई थी वादीया के भाई वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है वेदप्रकाश वादीया के भाई ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ था वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है वादीया के कथनो को वेदप्रकाश की पत्नी ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उसके पति वेदप्रकाश के द्वारा त्याग की गई भूमि है जो वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया गया जो शामिल मिसल किया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति वेदप्रकाश ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने ए वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं मजमें आम में ली गई जानकारी समहति के अधार पर एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 225/217 की कुल 6.3230हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेदप्रकाश पुत्र हिराराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को पूर्व में दर्ज हिस्सा को शामिल करते हुए खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है अर्थात वादीया वाद भूमि में 3.28796हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्द्रादेवी पुत्री हरिराम पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 8 चक 7 एनडीआर बिरकाली हाल मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लिलावती पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 848 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 225 / 217 की कुल 6.3230हैक में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वेदप्रकाश पुत्र हिराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को पूर्व में दर्ज हिस्सा को शामिल करते हुए खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है अर्थात वादीया वाद भूमि में 3.28796हैक भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगेअपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner